

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी - महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर:- 92/2021 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. लक्ष्मण पुत्र श्री बरदा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
 2. कस्तुर पुत्र श्री मोती बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
 3. नेना पुत्र श्री नंगजी बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
- प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति मांगीदेवी पत्नि भगाराम ढोली आयु वयस्क निवासी भाटोली गुजराण तहसील डूंगला जिला चितोडगढ (राज0)
2. नाथु पुत्र श्री प्यारा तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्रीमति केशी पत्नि श्री प्यारा तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. श्रीमति श्याम कंवर पत्नि स्व0 श्री लादू सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. श्रीमति राजी पत्नि श्री गुलाब तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. नारायण लाल पुत्र श्री प्रताप तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. गोपी लाल पुत्र श्री बालू तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. मदन लाल पुत्र श्री बालू तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
9. श्रीमति अण्ठी पत्नि श्री बालू तेली जाति तेली आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
10. श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री सुवालाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी- डेलास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
11. मांगु पुत्र श्री कजोड बलाई आयु वयस्क निवासी- लेसवा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राज0)
12. किशन गोदपिता बख्तावर बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी- बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
13. भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.बी.जे.) शाखा बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा जिला भीलवाडा (राज0)



-विपक्षीगण

dh
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री मुरलीधर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विपक्षीगण अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

::निर्णय::

दिनांक 06.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 57 में अंकित अन्य आराजियात के साथ आ.नं. 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329 व 6330 की भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के साथ सह खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी नंबर 6324 से 6330 में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता बलाईखेड़ा से सरकारी रेकार्डेड रास्ता आराजी नंबर 6444 से होकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 की आराजी नंबर 6424, 6425, 6316 तथा 6433 से गे.मु. नाली आराजी नंबर 6377 से होकर अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में बैलगाड़ी, संज, ट्रैक्टर आदि अपने पूर्वजों के समय से लाता ले जाता है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मौके पर 12 फीट रास्ता खुला होकर गाड़ी गडार बना हुआ है, को 12 फीट चौड़ाई में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शों) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये सदैव तैयार हैं।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किया। विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। जिनकी तामिल पावती प्राप्त होकर शा0फा0 है। विपक्षीगण को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक तामिल को एक माह से अधिक का समय होने से विधिवत माना जाना उचित है। विपक्षीगणों के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिये गये। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

अथवा न ही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं , के संबंध में मौके की जाँच करा तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने, बैलगाड़ी, संज ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजों के समय से लाता ले जाता है, उक्त रास्ते के अलाव अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 57 में अंकित अन्य आराजियात के साथ आ.नं. 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329 व 6330 की भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 11 व 12 के साथ सह खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। वर्तमान में उक्त वर्णित आराजी नंबर में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता बलाईखेड़ा से सरकारी रेकार्डेड रास्ता आराजी नंबर 6444 से होकर नाथु पुत्र प्यारा तेली वगैरहा की आराजी नंबर 6424 रकबा 0.5944 हैक्टर में से 0.0585 हैक्टर व आ0नं0 6425 रकबा 0.2023 हैक्टर में से 0.0028 हैक्टर, से अण्ठी पत्नी बालु तेली वगैरहा के आ0नं0 6433 रकबा 0.7461 हैक्टर में से 0.0293 हैक्टर से गै0मु0 नाला आराजी संख्या 6377 से होकर मांगी देवी पत्नी भगाराम ढोली के आराजी नंबर 6316 रकबा 0.6197 हैक्टर में से 0.0073 हैक्टर रकबा भूमि रास्ते के काम आती है जिसका कुल रकबा 0.0979 हैक्टर गै0मु0 नाला आराजी संख्या 6377 को छोड़ते हुए है 12 फीट चौड़ाई के रास्ते की भूमि बनती है। मौके पर वर्तमान में उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्तानुसार विपक्षीगण की आराजियात नंबर 6424, 6425, 6433 व 6316 से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाने का निवेदन करते हुए नियमानुसार राशि विपक्षीगण को अदा करने पर सहमति दी।

मैंने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 11 व 12 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 57 में अंकित अन्य आराजियात के साथ आ.नं. 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329 व 6330 की भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण नाथु पुत्र प्यारा तेली वगैरहा की आराजी नंबर 6424 रकबा 0.5944 हैक्टर में से 0.0585 हैक्टर व आ0नं0 6425 रकबा 0.2023


उपरबंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हैक्टर में से 0.0028 हैक्टर व विपक्षीगण अण्छी पत्नी बालु तेली वगैरहा के आ0नं0 6433 रकबा 0.7461 हैक्टर में से 0.0293 हैक्टर से तथा विपक्षीगण मांगी देवी पत्नी भगाराम ढोली के आराजी नंबर 6316 रकबा 0.6197 हैक्टर में से 0.0073 हैक्टर रकबा भूमि को 12 फीट चौड़ाई में नक्शों में अंकन अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतः एव

आदेश

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षीगण नाथु पुत्र प्यारा तेली वगैरहा की आराजी नंबर 6424 रकबा 0.5944 हैक्टर में से 0.0585 हैक्टर व आ0नं0 6425 रकबा 0.2023 हैक्टर में से 0.0028 हैक्टर व विपक्षीगण अण्छी पत्नी बालु तेली वगैरहा के आ0नं0 6433 रकबा 0.7461 हैक्टर में से 0.0293 हैक्टर से तथा विपक्षीगण मांगी देवी पत्नी भगाराम ढोली के आराजी नंबर 6316 रकबा 0.6197 हैक्टर में से 0.0073 हैक्टर भूमि का नक्शों में अंकन अनुसार 12 फीट चौड़ाई की भूमि (रास्ते के रूप में) प्रार्थीगण की आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने-जाने के लिए रास्ता कायम किये जाने तथा राजस्व नक्शों में भी तरमीम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। मौका पर्चा के साथ संलग्न नक्शा निर्णय का भाग होगा। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि 12 फीट चौड़ाई के रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुना से प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर उक्तानुसार विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावें। विपक्षीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा की जावें।

यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी पदेन
(महीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा